आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

संसद ने **आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024** पारित कर दिया है , जिसका उद्देश्य **आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005** में संशोधन करना है।

DM अधिनियम, 2005 के प्रमुख संशोधन:

- **आपदा प्रबंधन योजनाएँ: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** अब राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों के स्थान पर योजनाएँ तैयार करेंगे।
- **विस्तारित भूमिका:** इसमें जोखिम मूल्यांकन (जलवायु जोखिम), तकनीकी सहायता, राहत मानक निर्धारित करना और आपदा डेटाबेस का अनुरक्षण करना शामिल किया गया है।
- **NDMA को प्रदत्त विनियामक शक्तियाँ: NDMA** को पूर्व केंद्रीय अनुमोदन के साथ **अधिनियम के तहत विनियम बनाने, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियाँ निर्दिष्ट करने** का प्राधिकार दिया गया है।
- **आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण:**
  - **आपदा डेटाबेस:** अनिवार्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस।
  - **नगरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA):** राज्य अपनी राजधानियों और प्रमुख शहरों के लिये इनकी स्थापना कर सकते हैं।
  - **राज्य आपदा मोचन बल (SDRF):** राज्य SDRF का गठन कर सकते हैं और उनके कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं।
- **प्रमुख समितियों को सांविधिक दर्जा:**
  - **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC):** प्रमुख आपदाओं के लिये नोडल निकाय।
  - **उच्च स्तरीय समिति (HLC):** राज्यों को वित्तीय सहायता की देखरेख करने में सहायता।
- **NDMA नियुक्तियाँ:** केंद्रीय अनुमोदन से अधिकारियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकेगी।

और पढ़ें: आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disaster-management-amendment-bill,-2024